

प्रपत्र-7

मीडिया प्रतिनिधियों के लिए निजी फोटोयुक्त सचिवालय प्रवेश पत्र जारी करने हेतु निर्धारित प्रारूप

- 1 आवेदक का नाम.....
- 2 आवेदक के पिता/पति का नाम.....
- 3 आवेदक का पदनाम (संपादक/पत्रकार/कैमरामैन/फोटोग्राफर/
तकनीकी सहयोगी/वाणिज्यिक प्रतिनिधि/पूर्णकालिक संवादसूत्र(स्टिंगर)/अन्य-उल्लेख।
- 4 आवेदक की राष्ट्रीयता.....
- 5 मीडिया संस्थान/संगठन का नाम
- 6 वर्तमान आवासीय पता एवं आवासीय दूरभाष संख्या/मोबाईल सं०.....
- 7 स्थायी पता/आवासीय दूरभाष/मोबाईल सं०.....
- 8 आवेदक का आधार कार्ड संख्या (छायाप्रति संलग्न करें).....
(गैर भारतीय आवेदक के सन्दर्भ में पासपोर्ट संख्या एवं पासपोर्ट वैधता की तिथि)
- 9 आवेदक का ई-मेल आई डी.....
- 10 क्या पूर्व वर्ष में आवेदक को सचिवालय प्रवेश पत्र निर्गत किया गया था यदि हाँ तो
उसकी संख्या (छायाप्रति संलग्न करें).....
- 11 मीडिया हाउस के मुख्य संपादक/संपादक की संस्तुति(फीलांसर के संदर्भ में लागू नहीं)...
- 12 समाचार पत्र का मान्यता/मीडिया चैनल/पंजीयन क्रमांक.....

दिनांक.....

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु०.....को बहुधा समाचार संकलन हेतु सचिवालय आना पड़ता है। अतः संस्तुति की जाती है कि इनके लिए एक वर्ष की अवधि का फोटोयुक्त अस्थायी प्रवेश-पत्र निर्गत कर दिया जाय। आवेदक की एल०आई०यू० जॉच/पुलिस सत्यापन करा दिया गया है।

सूचना विभाग के
अपर मुख्य सचिव
प्रमुख सचिव/सचिव के
हस्ताक्षर एवं मुहर।

नोट :-

- 1 आवेदक के दो नवीनतम फोटो, जो तीन माह से पुराना न हो एवं न्यूनतम 75 प्रतिशत फोटो विजिबल एवं व्हाईट बैकग्राउण्ड हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
- 2 आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 3 पुराने सचिवालय प्रवेश-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- 4 पत्रकार होने के प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।